रजिस्टर्ड न० ल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 17 अगस्त, 1990/26 श्रावण, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 17 अगस्त, 1990

संख्या 1-39/90-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973, के नियम 135 के अन्तर्गत, विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 6) जो

दिनांक 17 अगस्त, 1990 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

1990 का विधेयक संख्यांक 6.

विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 54) का, जहां तक यह हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है, **संशोधन** करने के लिए **विधेयक** ।

चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्यों की सेवा निवृति की आयु को निर्धारित करने के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है;

भारत गणराज्य के इक्तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

5 (2) यह जुलाई, 1990 के 13वें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप-धारा (6) में आए शब्दों "कोई व्यक्ति" के पश्चात् **"जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या"** शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

कतिपय नियुक्तियों का शून्य होना ।

1948 का 54 3. (1) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों में या न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा किसी संविदा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारम्भ से पूर्व की गई कोई ऐसी नियुक्ति जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी बोर्ड का सदस्य बने रहने का अधिकार प्राप्त है, शून्य होगी और ऐसे प्रारम्भ पर यह समझा जाएगा कि वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहा है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के सदस्य के पद पर न रहने पर, ऐसा सदस्य ऐसे प्रतिकर के लिए हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए; किन्तु ऐसा प्रतिकर उसकी अनवसित पदावधि के लिए उसे संदेय वेतन और भत्तों की रकम के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1990 का 2 4. (1) विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 8 में यह उपबंधित है कि, राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे और ऐसी शर्तों के अधीन पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, जैसी विहित की जाएं । दूसरे शब्दों में, यह उपबंध नहीं किया गया था कि कोई व्यक्ति किस अधिकतम आयु या अवधि तक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद पर बना रहेगा । वास्तव में, यह उपबन्ध किया जाना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि पदधारी अपनी अधिवर्षिता की आज्ञापक आयु या विनिर्दिष्ट आयु के पश्चात् किस आयु तक पदासीन रहेगा । संसार की बहुत सी प्रशासनिक प्रणालियों के अनुसार, पदावसान की अधिकतम आयु का प्रावधान किया जाता है । हमारे देश में अधिवर्षिता की आयु अर्थात् किसी व्यक्ति का न्यायिक एवं सिविल पद से अंतिम पदावसान कब होगा की अवधारणा हमारे प्रशासनिक तथा संवैधानिक पद्धतियों का एक अभिन्न अंग रही है । लोक नीति के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि अधिवर्षिता की अवधारणा सिविल पदों और न्यायिक नियुक्तियों पर लागू होनी चाहिए । अतः सदस्यों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उच्च-न्यायालय के न्यायधीशों, प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अन्य उच्च पदाधिकारियों की सेवानिवृति की आयु भी नियत की गई है । इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में यथा लागू विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया ।

मामला अत्याधिक लोक महत्व का था और विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था और तदनुसार विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का 2) 13 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित किया गया और उसी तारीख के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था । अब इस अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक किसी उपान्तरण के बिना उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

शिमला:
17-8-1990.

शान्ता कुमार,
मुख्य मन्त्री ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड (3) में यह उपबन्धित है कि कोई व्यक्ति जिसे 65 वर्ष की आयु के उपरान्त भी बोर्ड का सदस्य बने रहने का अधिकार प्राप्त था, वह उस अध्यादेश, जिसे अब प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव हैं, के प्रारम्भ की तारीख को बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा और उक्त पद पर न रहने पर, सदस्य ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

तथापि अधिकतम प्रतिकर, अनवसित अवधि के लिए संदेय वेतन और भत्तों की राशि तक ही सीमित होगा । प्रतिकर, जिसका इस समय ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संदत्त किया जाएगा और उसके किसी भी अंश का संदाय राज-कोष से नहीं किया जाएगा ।

प्रत्यावोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

Authoritative English Text

Bill No. 6 of 1990.

THE ELECTRICITY (SUPPLY) (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 1990

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act No. 54 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.

Whereas it is considered necessary to make provision for providing an age of superannuation for the members of the Himachal Pradesh State Electricity Board ;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 13th day of July, 1990.

Amendment of section 5.

54 of 1948.

2. In sub-section (6) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948, for the words "if he is a member of Parliament", the words "if he has attained the age of 65 years or is a member of Parliament" shall be substituted.

Certain appointments to be void.

54 of 1948.

3. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, rules, regulations or bye-laws made thereunder or in any judgement, decree or order of the court or in any contract, any appointment, made before the commencement of the Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1990, whereby a person has a right to continue as a member of the Board after attaining the age of 65 years, shall be void; and on such commencement he shall be deemed to have ceased to hold office of the member of the Board.

(2) On ceasing to hold office of the member of the Board under sub-section (1), such member shall be entitled to compensation as may be determined by the State Government; but such compensation shall not exceed the amount equivalent to the amount of salary and allowances payable to him for his unexpired term.

Repeal and savings.

2 of 1990.

4. (1) The Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 1990 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action was taken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 8 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948) provides that the Chairman and other Members of the State Electricity Board shall hold office for such period and shall be eligible for re-appointment under such conditions, as may be prescribed. In other words no provision has been made in respect of maximum age or period upto which a person may serve as Chairman or Member of the Board. Indeed, the provision after mandatory age of superannuation or specification of age beyond which an incumbent must cease to hold office is vital and essential. In most administrative systems of the world, an outer age limit is provided. In our own country the concept of the age of superannuation, in other words the concept of the terminal point at which a person should cease to hold judicial offices and civil posts, are entrenched in our administrative and constitutional systems. Public policy requires that the concept of superannuation should be applied to civil posts and offices. It was, therefore, decided to prescribe the age of 65 years for retirement of the Members of the Electricity Board, as the retirement age of High Court Judges, Members of the Administrative Tribunal, Members of Public Service Commission and other high functionaries has also been fixed. This necessitated the amendments in the Electricity (Supply) Act, 1948 in its application to the State of Himachal Pradesh.

The matter was of great public importance and Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor, Himachal Pradesh, to take immediate action under Clause (1) of Article 213 of the Constitution and as such the Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 1990 (2 of 1990) was promulgated on 13th of July, 1990 and was published in the extra-ordinary issue of Rajpatra, Himachal Pradesh of the same date. This Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

SHIMLA :
The 17th August, 1990.

SHANTA KUMAR,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill provides that a person who has a right to continue as a member of the Board after attaining the age of 65 years shall cease to hold office of the member of the Board on the commencement of the Ordinance, now proposed to be replaced, and on ceasing to hold the said office, the member shall be entitled to compensation as may be determined by the State Government. The maximum compensation, however, is limited to the pay and allowances payable for the unexpired term. The compensation, the exact amount of which cannot be quantified at this stage, is, however, to be paid by the Himachal Pradesh State Electricity Board and no part of it is to be paid out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित